कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी (म.प्र.)

:: केन्टीन संचालन हेतु द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना::

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि नवीन जिला न्यायालय भवन, डिण्डौरी के सर्विस बिल्डिंग के कक्ष कमांक एस–6 में स्थित कैंटीन संचालन हेतु इच्छुक संस्थाओं, व्यक्तियों एवं कंपनियों से निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते है। निविदा की शर्तो संबंधी निविदा प्रलेख प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय डिण्डौरी के कार्यालय अनुभाग में उपलब्ध है। इच्छुक संस्थाएं/ व्यक्तियों/कंपनियां अपना निविदा फार्म 250/– रूपये नगद कार्यालय में जमा कर अथवा डीडी के माध्यम से कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय डिण्डौरी में कार्यालयीन समय पर आवक/जावक शाखा में जमा कर सकते है, उपरोक्त निविदायें **दिनांक 15.06.2022 से दिनांक 30.06.2022 को शाम 5.00 बजे तक** भरकर कार्यालय में जमा किया जाना है। प्राप्त निविदायें **दिनांक 02.07.2022 को निविदाकर्ता/प्रतिनिधि की उपस्थिति में दोपहर 02.00 बजे** कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय डिण्डौरी में गठित केन्टीन समिति के समक्ष खोली जावेगी। निविदा फार्म, विकय की जाने वाली सामग्री की सूची, निविदा की शर्तों एवं संपूर्ण जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाईट www.mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय डिण्डौरी की वेबसाईट www.districts.ecourts.gov.in/dindori पर भी उपलब्ध है, जहां से उपरोक्त निविदा फार्म डाउनलोड किया जा सकता है। निविदाकर्ता के द्वारा डाउनलोड निविदा फार्म भरकर सील बंद लिफाफे में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी को देय 250/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।

14-6-22

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
डिण्डौरी म.प्र.

कार्यालयः– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी (म.प्र.)

–:: केंटीन संचालन हेतु निविदा फार्म::–

प्रथम पक्ष :– निविदाकर्ता का नाम..

पिता का नाम ....

पताः–...

....

मोबाईल नं0 ....

ई–मेल आई.डी ....

प्रस्तावित अनुबंध राशि ....

अनुज्ञप्तिदाता :– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी।

केंटीन संचालन का स्थान – नवीन जिला न्यायालय भवन डिण्डौरी के सर्विस बिंल्डिग के कक्ष कमांक एस–6 ।

––––––000000–––––

नोटः– कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) डिण्डौरी संभाग डिण्डौरी के पत्र कमांक 1194/तकनीकी/2020–21 डिण्डौरी दिनांक 10.07.2020 के अनुसार नवीन जिला न्यायालय भवन डिण्डौरी के सर्विस बिल्डंग के कक्ष कमांक एस–6 के 203.13 वर्ग मीटर में वाशरूम, स्टोर रूम, किचन एवं गैलरी सहित स्थित कैंटीन का **किराया 19800/–रूपये (उन्नीस हजार आठ सौ रूपये) प्रतिमाह एवं 237600/–रूपये (दो लाख सैतीस हजार छः सौ रूपये) प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया**। जिला न्यायालय परिसर, डिण्डौरी में स्थित कैंटीन के संचालन हेतु निविदाकर्ताओं से 01 वर्ष की अवधि हेतु निम्न निर्धारित शर्तो के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती हैः–

निविदा के नियम एवं शर्ते

01. निविदा अनुबंध हेतु सीलबंद निविदा दिनांक **15.06.2022 से 30.06.2022 को सायं 5:00 बजे तक** स्वीकार की जावेगी, इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

02. निविदा के साथ निविदाकर्ता के अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र यदि उसने पूर्व में कैंटीन संचालन किया हो, उक्त अनुभव आदि की समिति के द्वारा अतिरिक्त योग्यता मानते हुये प्राथमिकता दी जा सकेगी।

03. समिति के द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या पूर्व में शर्तो का उल्लंघन करने / विवाद वाले या अन्यथा अभिभाषकों / न्यायालयीन कर्मचारियों / पक्षकारों आदि से विवाद करने वाले व्यक्तियों को निविदा की कार्यवाही में भाग लिये जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा तथा उनकी निविदा पर कैंटीन समिति के द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

04. अनुज्ञप्तिधारक एवं अनुज्ञप्तिदाता के द्वारा अनुबंध एक वर्ष के लिये संपादित किया जाएगा, अनुज्ञप्ति की अवधि के समाप्त होने पर या उसके पहले संविदा को छोड़ने पर अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा अनुज्ञप्तिदाता को शांतिपूर्ण रूप से कैंटीन का खाली कब्जा उसी हालत में, जिस हालत में उसे अनुज्ञप्तिदाता के द्वारा प्रदान किया गया था, सामान्य टूट–फूट के अध्याधीन रहते हुये, सौंपा जाएगा।

05. यदि प्रथम अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा अवधि पूर्ण होने के पूर्व केन्टीन का संचालन किसी कारण से बंद कर दिया जाता है तो द्वितीय अनुज्ञप्तिधारक को शेष समय हेतु केन्टीन का संचालन करने की अनुमति केन्टीन समिति, जिला न्यायालय डिण्डौरी की अनुशंसा पर प्रदान की जा सकेगी ।

06. अनुबंध अनुसार कैंटीन संचालन की एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर केंटीन समिति की अनुशंसा पर संचालन की अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की जा सकती है। इस हेतु अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा अधिकतम बोली की राशि जो निर्धारित की गई है उस राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि एक मुश्त जमा करना होगा और प्रतिमाह के किराये में भी 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए किराया भुगतान करना होगा।

07. अनुबंध की अवधि समाप्त होने के पश्चात् यदि अनुज्ञप्तिधारक पुनः कैन्टीन को अनुबंध में प्राप्त करना चाहता है तो वह नीलामी प्रक्रिया में नियमानुसार भाग ले सकेगा और जब तक कैंटीन नवीन अनुज्ञप्तिधारी को प्राप्त नहीं होता तब तक प्रतिमाह का किराया 10 प्रतिशत बढ़ाकर अपने अनुबंध को आगे की अवधि तक के लिये जारी रख सकेगा।

08. निविदाकर्ता को निविदा फार्म के साथ रूपये **25000/– (पच्चीस हजार रूपये/–)** की जमानत राशि **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी** को देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत करना होगा जिसके अभाव में निविदा स्वीकार नहीं किया जावेगा। सफल निविदाकर्ता के अतिरिक्त शेष निविदाकर्ताओं को उक्त जमानत राशि का डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जावेगा जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

09. सफल निविदाकर्ता की उक्त जमानत राशि अनुज्ञप्तिधारक और जिला रजिस्ट्रार डिण्डौरी के नाम से संयुक्त बैंक एफ.डी. अमानत के रूप में रखी जायेगी और अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने पर कैंटीन समिति की अनुशंसा पर सम्पहृत की जायेगी।

10. सफल निविदाकर्ता/अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत एफ. डी.आर. अनुज्ञा अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञप्तिधारक को वापस की जावेगी और एफ.डी.आर. पर अर्जित बैंक ब्याज अनुज्ञप्तिधारक प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

11. **कैंटीन संचालन हेतु प्रथम एक वर्ष के लिये लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) संभाग डिण्डौरी के द्वारा निर्धारित वार्षिक किराया के आधार पर 237600/– *(दो लाख सैतीस हजार छः सौ रूपये)* की न्यूनतम अनुज्ञा शुल्क निर्धारित है, जिस निविदाकर्ता के द्वारा अधिकतम अनुज्ञा शुल्क प्रस्तावित किया जावेगा एवं निविदा फार्म के साथ संलग्न सूची में वर्णित विकय के लिए प्रदाय की जाने वाली खाद्य सामाग्रियों की विकय कीमत कम होगी, अन्य शर्तो के अधीन उसकी निविदा स्वीकार की जावेगी।**

12. जिस निविदाकर्ता की अधिकतम अनुज्ञा शुल्क अंतिम रूप से मान्य होगी, उसके द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक को या उसके पूर्व अनुज्ञा शुल्क की निर्धारित राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत अनुबंध दिनांक से ठीक 06 माह पूर्ण होने पर जमा करना होगा अन्यथा अनुज्ञप्तिधारक को कैंटीन संचालन हेतु रोक दिया जायेगा अथवा अनुबंध निरस्त करने का अधिकार अनुज्ञप्तिदाता को होगा।

13. सफल निविदाकर्ता/अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा निविदा फार्म में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टाम्प ड्यूटी पर स्वयं के व्यय पर निष्पादन कराकर पंजीयन करायेगा।

14. अनुज्ञप्तिधारक कैंटीन कक्ष का पृथक से विद्युत संयोजन प्राप्त कर

वास्तविक दरों के अनुसार निर्धारित अवधि के विद्युत देयक का भुगतान करेगा।

15 . अनुज्ञप्तिदाता अनुबंध अवधि में जल संयोजन हेतु अनुज्ञप्तिदाता से अनुमति प्राप्त की जा सकेगी एवं जल संयोजन का व्यय अनुज्ञप्तिधारक को ही वहन करना होगा।

16. कैंटीन दुकान के संचालन के लिये अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा ही मशीनों एवं अग्नि नियामकों के अनुसार अग्निशामक उपकरण स्थापित किया जायेगा तथा इस रख रखाव में हुये व्यय का वहन भी अनुज्ञप्तिधारक का ही होगा।

17. अनुज्ञप्तिधारक कैंटीन दुकान का विधि अनुसार संबंधित नगरपालिका परिषद्/नगर निगम से दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करायेगा तथा समस्त प्रकार के करों का भुगतान करेगा।

18. अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा खाद्य सामग्री विक्रय की दर अनुज्ञप्तिदाता से अनुमोदित कराई जावेगी, ऐसी दर बाजार दर से अधिक नहीं होगी एवं अनुमोदित दरों पर ही मानक स्तर की खाद्य सामग्री विक्रय की जावेगी।

19. निविदा फार्म के साथ संलग्न विक्रय सामग्रियों के अलावा कैंटीन संचालक /अनुज्ञप्तिधारक केंटीन में पैक की हुई खाद्य सामग्री एवं पेय पदार्थ जिनमें कंपनी या निर्माता की ओर से निर्धारित दर पर या उससे न्यूनतम दर पर ही विक्रय कर सकेगा।

20. अनुज्ञप्तिधारक अन्य ऐसी खाद्य सामग्री जिसका उल्लेख निविदा फार्म के साथ संलग्न विक्रय सामाग्रीयों की सूची में नही है और वह खाद्य सामग्री को विक्रय करना चाहता है तो खाद्य साम्रगी का मूल्य जिला न्यायाधीश के द्वारा निर्धारित अथवा अनुमोदन किये जाने के उपरांत वह विक्रय कर सकेगा।

21. विक्रय योग्य वस्तुओं की दरें कैंटीन परिसर में सदृश्य भाग पर प्रदर्शित करने का उत्तरदायित्व भी अनुज्ञप्तिधारक का होगा।

22. माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश के आदेशानुसार या अन्यथा जिला न्यायाधीश के द्वारा अनुज्ञा शर्तो में कभी भी परिवर्तन/परिवर्धन/निरस्त किया जा सकेगा, जिसका अनुज्ञप्तिधारक को पालन करना अनिवार्य होगा।

23. कैंटीन के संचालन अथवा अनुज्ञा की शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर विवाद का निराकरण जिला न्यायाधीश डिण्डौरी के द्वारा किया जावेगा, जिनका निर्णय/अवार्ड अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

24. अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा निविदा फार्म में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन किये जाने संबंधी अनुबंध निर्धारित प्रारूप पर उचित स्टाम्प ड्यूटी पर स्वयं के व्यय पर निष्पादन कराकर पंजीयन करायेगा।

25. कैंटीन संचालन में अनुबंध अनुसार अवधि पूर्ण होने के पूर्व यदि अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा कैंटीन का संचालन बंद किया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारक को उसके द्वारा जमा की गई कोई भी राशि नहीं लौटाई जावेगी और कैंटीन का कब्जा ले लिया जावेगा।

26. अनुबंध की शर्तो का अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उल्लंघन करने की दशा में अथवा अन्यथा स्थिति निर्मित होने पर बिना किसी सूचना के कैंटीन अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा एवं धरोहर राशि शासन के हित में राजसात की जा सकेगी, जिसका कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।

27. समय–समय पर अनुज्ञप्तिदाता या कैंटीन समिति के अध्यक्ष/सदस्यों के द्वारा कैंटीन का निरीक्षण कर प्रतिवेदन जिला न्यायाधीश डिण्डौरी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

28. अनुज्ञप्तिधारक ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासकीय संपत्ति की क्षति कारित हो अन्यथा अनुज्ञा समाप्त की जा सकेगी।

29. अनुज्ञप्तिधारक कैंटीन संचालन के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई विधि विरूद्ध गतिविधि संचालित नहीं करेगा अन्यथा अनुज्ञप्तिधारक के विरूद्ध विधिवत् कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

30. अनुज्ञप्तिधारक या उसके कर्मचारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों हेतु परिसर का उपयोग नही करेंगे और न ही करने देंगे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परिसर में किसी भी प्रकार की कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर कैंटीन अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

31. अनुज्ञप्तिधारक कैंटीन का संचालन न्यायालयीन कार्य दिवस में समय–समय पर अनुज्ञप्तिदाता के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तथा लोक अदालत आदि के विशेष अवसर पर कैंटीन का संचालन आवश्यक रूप से किया जावेगा।

32. अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा कैंटीन के संचालन के दौरान उन्हें आबंटित स्थान में किसी भी प्रकार स्थाई निर्माण/संरचना नहीं किया जावेगा। अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा कैंटीन संचालन में कोई अस्थाई निर्माण, जोकि व्यवसाय संचालन में आवश्यक है, पूर्व में जिला न्यायाधीश डिण्डौरी के द्वारा प्रस्तावित निर्माण की स्थिति को दर्शाते हुये अनुमोदित करवाने के उपरांत ही कर सकेंगे, जो शासकीय संपत्ति की क्षति कारित करने वाला न हो, किन्ही कारणों से यदि अनुज्ञप्तिदाता अस्थाई निर्माण के हटाने का आदेश देगा तो अनुज्ञप्तिधारक अपने अस्थाई निर्माण को स्वयं के व्यय पर हटाएगा।

33. अनुज्ञप्तिधारक को दुकान से लगे हुए खुले स्थान पर कोई अधिकार नहीं होगा और वह कैंटीन तथा आसपास के परिसर को पूर्णतः स्वच्छ रखेगा अन्यथा अनुज्ञप्तिदाता के द्वारा प्रति दिवस 500/–रूपये (पांच सौ रूपये) की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

34. अनुज्ञप्तिधारक अनावश्यक रूप से कैंटीन बंद नहीं रखेगा अन्यथा अनुज्ञप्तिदाता के द्वारा 1000/– रूपये प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

35. कैंटीन संचालन में व्यवधान आने की स्थिति में अनुज्ञप्तिदाता का कोई दायित्व नहीं रहेगा।

36. कैंटीन जिला न्यायाधीश डिण्डौरी के द्वारा अनुमोदित समय पर सामान्यतः प्रातः 08:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक ही चलाई जावेगी तथा न्यायालयीन सुरक्षा और अनुशासन का अनुज्ञप्तिधारक को पूर्ण पालन करना होगा।

37. अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा कैंटीन परिसर में स्वयं के व्यय पर कलर, पेंट एवं मरम्मत आदि का कार्य समय–समय पर कराया जावेगा।

38. अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा केंटीन परिसर या उसका कोई भाग उपकिरायेदारी आदि पर या अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।

39. अनुज्ञप्तिधारक कैंटीन में मानक के अनुसार खाद्य सामग्री विक्रय करेगा तथा व्यवसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग कर अन्य सुसंगत विधियों जैसे श्रमविधि आदि के प्रावधानों का पालन करेगा।

40. कैंटीन के अंदर किसी भी मादक पदार्थ अथवा द्रव्यों/धूमपान/पान/तम्बाकू/बीडी/सिगरेट आदि का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

41. निविदा फार्म प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता के द्वारा बंद निविदा के साथ पहचान पत्र जैसे मतदाता परिचय पत्र/ड्राइविंग लायसेंस/आधार कार्ड/पेन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

नोटः– निविदा **दिनांक 02.07.2022 को दोपहर 2.00 बजे** निविदाकर्ता /प्रतिनिधित्व की उपस्थिति में कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय डिण्डौरी में गठित समिति के समक्ष खोला जायेगा, यदि किसी कारणों से उक्त दिवस पर निविदा नहीं खुल पायी तो अगले कार्य दिवस पर उपरोक्त समय व स्थान पर निविदा खोला जावेगा।

" मुझे निविदा की समस्त शर्ते स्वीकार है।"

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता (प्रथम पक्ष)

निविदाकर्ता का पूरा नाम ....

पिता का नाम...

पताः– ....

फोन नंबर/मोबाइल नंबर.................................

ई–मेल आईडी ....

संलग्नः– 01. केंटीन संचालन हेतु दर की सूची।

–

केंटीन संचालन हेतु विक्रय की जाने वाली सामाग्रियॉ एवं निविदाकर्ता के द्वारा प्रस्तावित दरें

क.	खाद्य सामाग्री का नाम	मात्रा / तादात	कीमत	रिमार्क
1.	चाय	प्रति कप 75 मि.ली.		
2.	काफी	प्रति कप 75 मि.ली.		
3.	आलूबंडा	प्रति नग 75 ग्राम		
4.	समोसा एवं भाजीबड़ा	प्रति नग 75 ग्राम		
5.	कचोरी	प्रति नग 75 ग्राम		
6.	इडली / सांभर	2 नग प्रति नग वजन 60 ग्राम		
7.	पोहा	प्रति प्लेट 150 ग्राम		
8.	भजिया	प्रति प्लेट 100 ग्राम		
9.	जलेबी	प्रति प्लेट 100ग्राम		
10.	मंगोड़ी	प्रति प्लेट 100 ग्राम		
11.	बालूशाही	प्रति नग 80 ग्राम		
12.	बूंदी का लड्डू	प्रति नग 60 ग्राम		
13.	मगज का लड्डू	प्रति नग 60 ग्राम		
14.	गुलाब जामुन	प्रति नग 80 ग्राम		
15	दोपहर का भोजन एक सब्जी दाल चावल रोटी चार	प्रति थाली खाद्य सामग्री का कुल वजन 500 ग्राम		
16	सब्जी एक 6 पूडी	प्रति पैकेट 200 ग्राम		
17	लस्सी	प्रति गिलास 200 ग्राम		
18	सलोनी	60 ग्राम		
19	बूंदी	60 ग्राम		
20	रसगुल्ला	प्रतिनग 80 ग्राम		

21	छाछ	प्रति गिलास 200 मि.ली.		
22	पानी बॉटल	क्रमशः एक लीटर,500 मि.ली., 200 मि.ली.		
23	खोवा जलेबी	प्रति नग 100 ग्राम		
24	डोसा सांभर एवं चटनी	1 नग 200 ग्राम		
25	छोले भटुरे	एक प्लेट दो भटुरे एवं छोले		
26.	दही बड़ा	प्रति नग 60 ग्राम		
27	सांभर बड़ा	2 नग बड़ा एवं सांभर 60 ग्राम		
28	1 समोसा सहित मटर	प्रति प्लेट 150 ग्राम		

नोटः– **निविदाकर्ता के द्वारा उपरोक्त सामाग्री की दर आवश्यक रूप से भरा जाकर सत्यापन स्वरूप हस्ताक्षर एवं नाम पता का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।**

हस्ताक्षर

निविदाकर्ता (प्रथम पक्ष)

निविदाकर्ता का पूरा नाम ....

....

पताः– ....

//मध्यस्थता//

1. संविदा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय उर्पयुक्त बताये गये निर्देशों के संबंध में सभी प्रश्न व विवाद, कार्य की गुणवत्ता, प्रयोग किये जाने वाली सामग्री, संविदा से संबंधित अथवा उत्पन्न हो रहे कोई अन्य प्रश्न, अधिकार, दावा, निर्देश, आदेश या उर्पयुक्त बताये गये निर्देशों के संबंध में या अन्यथा कार्य से संबंधित, या उस कार्य का सम्पादन अथवा उसमें विफल होना, जो कि कार्य की प्रगति के दौरान या कार्य समाप्ति या उसे त्याग देने पश्चात् उत्पन्न हुये हों, एकमात्र मध्यस्थ को निर्दिष्ट किये जायेगें, जो कि प्रधान जिला न्यायाधीश डिण्डौरी के द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

02. मध्यस्थ के द्वारा किसी विवाद या मामले के संबंध में उसके कर्त्तव्यों के अनुक्रम में दिये गये सुझाव या राय के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं ली जावेगी, यदि संबंधित विवाद जो कि संविदा से संबंधित है।

03. वह मध्यस्थ जिसे प्रारंभ में कोई मामला रिफर किया गया था यदि स्थानांतरित हो जाता है या पद रिक्त हो जाता है, या किसी अन्य कारण से वह काम नहीं कर सकता है ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्तिदाता जिसके द्वारा ऐसा मध्यस्थ नियुक्त किया गया था, किसी अन्य व्यक्ति को संविदा के शर्तो के अनुसार मध्यस्थ नियुक्त कर सकेगा, ऐसा व्यक्ति रिफर किये गये मामले में उसी प्रक्रम से कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगें, जिस प्रक्रम पर रिफर किया गया मामला भूतपूर्व मध्यस्थ के द्वारा छोड़ा गया था।

4. यह भी संविदा की एक शर्त होगी कि, पूर्वोक्त अनुज्ञप्तिदाता के द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के सिवाय कोई अन्य व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा, यदि अनुज्ञप्तिदाता के द्वारा ऐसा मध्यस्थ नियुक्त किया जाना संभव नहीं है, तब वह मामला मध्यस्थ को रिफर नहीं किया जा सकेगा।

अनुज्ञप्ति धारक का नाम ....

पता ....

फोन.नम्बर ....

ई–मेल ....

संविदा

(ई–स्टेम्प कोड......................)

यह संविदा दिनांक ....को प्रधान जिला न्यायाधीश डिण्डौरी जिन्हें एतस्मिन पश्चात् प्रधान जिला न्यायाधीश के नाम से तथा जब तक अन्यथा प्रतिकूल उपबंधित न कर दिया जाये, तब तक उनके कार्यालय के उत्तराधिकारी, जो कि प्रधान जिला न्यायाधीश डिण्डौरी के हैसियत से कार्य करते है जिन्हे एतस्मिन पश्चात् **''अनुज्ञप्तिदाता''** के नाम से संबोधित किया जावेगा तथा जिसमें उनके उत्तराधिकारी सम्मिलित माने जावेगें **जो प्रथम पक्ष के रूप में होंगे।**

और

....

....(अभिकरण / अनुज्ञप्ति धारक का नाम तथा पता एवं उसके प्रतिनिधि का नाम तथा पद) जिसे एतस्मिन पश्चात् **सर्विस प्रोवाईडर** के नाम से संबोधित किया जावेगा, जिसमें उनके उत्तराधिकारी सम्मिलित माने जायेगें, **जो द्वितीय पक्ष के रूप में होंगे।**

जहां अनुज्ञप्तिदाता का आशय यह है कि नवीन न्यायालय भवन प्रधान जिला न्यायाधीश डिण्डौरी के सर्विस बिल्डिंग में कैंटीन संचालित किया जावें, जहां सर्विस प्रोवाईडर ने स्वेच्छा से अपनी सहमति इस हेतु संविदा के उपबंधों के अनुरूप दी है और जहां अनुज्ञप्तिदाता ने मूल्य व दर संविदा के शर्तो के अनुरूप तय किये हैं, के मध्य समझी जावेगी।

निम्नलिखित दस्तावेज इस संविदा का भाग माने, पढ़े व समझे जावेगें।

a. निविदा प्रारूप (तकनीकी व वित्तीय) और कीमत सूची जो कि अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा जमा की जावेगी।

b. सम्पूर्ण निविदा दस्तावेज।

c. स्पष्टीकरण जो कि इस संबंध में जारी किये गये है।

d. सर्विस प्रोवाइडर के मध्यस्थ की अधिसूचना ।

e. सहमति पत्र।

f. सम्पूर्ण पत्राचार जो इस संबंध में किये गये हों।

अब यह संविदा :-

1. संविदा में सम्मिलित नियम व शर्ते संविदा का भाग पढ़ी व समझी जायेगी।
2. सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जिला न्यायालय को किये गये भुगतान के एवज में सर्विस प्रोवाइडर जिला न्यायालय डिण्डौरी को ''कैंटीन ''की सेवाएं प्रदान करने और संविदा के नियम एवं शर्तो के अनुरूप आवश्यक शुल्क और रकम का भुगतान करने के लिए सहमत है।
3. यह कि उस परिस्थिति में जहां कोई विवाद उत्पन्न होता है तब ऐसा विवाद संविदा के नियम व शर्तो के अनुरूप निराकृत किया जावेगा।
4. अनुज्ञप्तिधारक अनुबंध निष्पादन से 6 माह पूर्ण होने पर अधिकतम अनुज्ञा शुल्क का शेष 50 प्रतिशत राशि जमा करेगा।
5. यह संविदा दिनांक .... से ....तक प्रवृत्त रहेगी, जिसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकार उनकी सामान्य सील चस्पा करेगें।

अनुज्ञप्ति धारक/प्रतिनिधि का नाम व पता
....

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला डिण्डौरी (म.प्र.)

निम्नांकित साक्ष्यों का उपस्थिति में :-

साक्षी

1. नाम ....
   पता ....
2. नाम ....
   पता ....

साक्षी

1. नाम ....
   पता ....
2. नाम ....
   पता ....